निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 50 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, लघुडाल खण्ड, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघुडाल खण्ड, अल्मोड़ा के माह 08/2015 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरिओम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी(तदर्थ) द्वारा दिनांक 23/09/2018 से 29/09/2018 तक श्री सी.एस.बोहरा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी0के0 श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 24.08.2015 से 01.09.2015 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2011 से 07/ 2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2015 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जनपद अल्मोड़ा में लिफ्ट सिंचाई योजनाओ/नलकूपों का निर्माण एवं अनुरक्षण तथा परिचालन का कार्य ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	337.53	337.53	1270.11	1060.11	210.00	
2016-17	-	-	316.53	316.53	415.93	415.93	-	-
2017-18	-	-	282.04	282.04	119.29	119.29	-	-
2018-19 (up to 08/2018)	-	-	132.56	132.56	151.29	77.56	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
2015-16	NIL					
2016-17						
2017-18						
2018-19						

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'बी'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

––प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

––मुख्य अभियन्ता (यॉ), देहरादून (स्तर–2),

–– अधीक्षण अभियन्ता (यॉ), नलकूप मण्डल, अल्मोड़ा,

––(1)लघुडाल खण्ड, अल्मोड़ा, (2) लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़, (3) नलकूप खण्ड रामनगर

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघुडाल खण्ड, अल्मोड़ा** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघुडाल खण्ड, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **नाबार्ड मद के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड धौलादेवी में मलाड़ लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण कार्य** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी

एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ..... से .... शून्य ... का निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2014 तक तथा 09/2016 तक की गई।

4. फार्म–51: माह 07/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः–

भाग प्रथम ₹ 59.38

भाग द्वितीय ₹ 155060.00

5. खण्ड के उचन्तलेखों के अवशेष माह 08/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 62955.00

(ख) सामग्री क्रय शून्य

(ग) नगद परिशोधन शून्य

(घ) निक्षेप ` 3540594.00

(ड़) भण्डार ` (-)352243.00

भाग-2 (ब)

प्रस्तरः- 1 लिफ्ट योजना के पूर्ण न होने से `37.74 लाख प्रतिवर्ष के लाभ से कृषकों का वंचित रहना।

अधिशासी अभियंता, लघु डाल खंड, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि ग्राम पंचायत बेह के ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर कार्यालय द्वारा जिला योजना के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखंड हवालबाग मे गागिल लिफ्ट सिंचाई योजना के विस्तार हेतु वर्ष 2012-13 मे `66.04 लाख के प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्राक्कलन के अनुसार ग्राम पंचायत बेह मे कृषि योग्य क्षेत्र 53 हे0 भूमि जो असिंचित थी, को सिंचित किए जाने हेतु प्रस्तावित था। खेती पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित थी जबकि समस्त खेत समतल थे।

संप्रेक्षा मे पाया गया की वर्ष 2012-13 मे योजना हेतु `5.00 हजार प्रदान किया गया जिसका व्यय खंड द्वारा उसी वर्ष किया गया। उसके उपरांत वर्ष 2016-17 तक धनाभाव के कारण खंड द्वारा कोई भी कार्य नही किया गया। पुनः खंड द्वारा उपरोक्त योजना का प्रस्ताव `89.20 लाख का वर्ष 2016-17 मे खंड द्वारा उसी क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0एस0वाई0) के अंतर्गत मुख्य अभियंता(यांत्रिक) को प्रेषित किया गया। मुख्य अभियंता (यांत्रिक) के द्वारा दिनांक-16.05.2017 के पत्र के अनुसार उक्त योजना को पी0एम0के0एस0वाई0 की नई गाइड लाइन के अनुरूप तैयार कर पुनः प्रेषित किए जाने का निर्देश दिया। परंतु खंड द्वारा मुख्य अभियंता के आदेशों के अनुरूप कार्यवाही न कर दिनांक-03.08.2018 को पुनः उसी क्षेत्र हेतु जिला योजना मे `66.04 लाख के नए प्रस्ताव को जिला अधिकारी, अल्मोड़ा को प्रस्तुत किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि जिला अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा जिला योजना की बैठक दिनांक-03.08.2018 मे उपरोक्त गागिल विस्तार योजना को नाबार्ड योजना मे ही प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

इस संदर्भ मे पूछे जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया कि मुख्य अभियंता के आदेश दिनांक-16.05.2017 के अनुसार उक्त योजना को पी0एम0के0एस0वाई0 की नई गाइड लाइन मे बनाना संभव नही था। अब योजना का प्रस्ताव नाबार्ड मद से कर पुनः उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। कुल 106 हे0 क्षेत्रफल को सिंचित करने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नही की हैं।

खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्योकि वर्ष 2012-13 मे प्रस्तावित योजना के पूर्ण न होने से 106 हे0 क्षेत्रफल मे 2374.40 कुंतल प्रति वर्ष अतिरिक्त उपज से `37.74 लाख प्रतिवर्ष के लाभ से कृषक वंचित रहे।

अत: गागिल लिफ्ट सिंचाई योजना के पूर्ण न होने से वर्ष 2012-13 से `37.74 लाख प्रतिवर्ष के लाभ से कृषकों के वंचित रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:- 2 बजट के अभाव मे योजनाओं का अपूर्ण रहना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, लघु डाल खंड, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच मे पाया गया हैं कि कार्यालय के अंतर्गत 11 योजनाओं (सलग्ड्क के अनुसार) कुल लागत `259.68 लाख के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 मे अनुमोदित किया गया था। जिस हेतु जिला अधिकारी द्वारा कार्यों को अविलंब आरंभ करने हेतु `5 हजार प्रति कार्य की धनराशि निर्गत की गयी। संप्रेक्षा मे पाया गया कि खंड द्वारा वर्ष 2013-14 मे प्रति योजना `5 हजार का व्यय किया परंतु उसके उपरांत अभी तक (09/2018) उपरोक्त योजनाओ मे कोई भी कार्य नही किया गया। कुल कार्य का मात्र 0.1 से 0.4 प्रतिशत सर्वे के रूप मे हुआ हैं। जबकि अनुमोदित प्राक्कलनों के अनुसार योजनाओ का जीर्णोद्वार मार्च 2016 तक पूर्ण किया जाना था। जिससे 164 हे0 भूमि को वार्षिक रूप से सिंचित किया जाना था।

उक्त के अलावा कार्यालय के अभिलेखों की जांच मे पाया गया हैं कि कार्यालय के अंतर्गत 05 योजनाओं का वर्ष 2009-10 से 2015-16 मे `523.75 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसे 03/2012 से 03/2018 तक पूर्ण किया जाना था (सलग्ड्क के अनुसार) परंतु योजनाओं मे अभी तक मात्र `461.64 लाख प्राप्त हुआ हैं जिसमे से खंड द्वारा `410.00 लाख ही व्यय किया जा सका।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अवगत कराया गया कि उक्त 11 कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव जिला स्तर पर DPC के समक्ष प्रति वर्ष धनावटन हेतु रखा जाता हैं परंतु धनावटन प्रत्येक वर्ष घट रहा हैं। जिससे योजनाये अपूर्ण हैं। जिससे 164 हे0 भूमि वार्षिक रूप से असिंचित हैं। उक्त 05 अपूर्ण आयोजनाओं के संबंध मे अवगत कराया गया कि योजनाओ के अनुरूप धनावटन न प्राप्त होने व धनावटन मे देरी होने से कार्यों को पूर्ण नही किया जा सका।

अत: शासन स्तर से योजनाओं को पूर्ण करने हेतु समय पर समुचित धनराशि प्राप्त न होने के कारण उक्त योजनाओं के अपूर्ण रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

प्रस्तर:-1 प्रकीर्ण अग्रिम मे असमायोजित धनराशि `46485.00 की वसूली नही किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, लघु डाल खंड, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि द्वितीय उपखंड रानीखेत मे कार्यरत श्री नसरुद्दीन राही, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता के विभागीय स्टोर से दिनांक 24.07.2006 को लगभग 310 किग्रा जले हुए तांबे की तार की चोरी हो गयी थी। कार्यालय द्वारा विभागीय कार्यवाही कर जले हुए तांबे की तार का मूल्यांकन `46485.00 कर माह 05/2007 मे भंडार की कमी को मासिक लेखे के माध्यम से श्री नसरुद्दीन राही, तत्कालीन कनिष्ठ सहायक अभियंता के नाम प्रकीर्ण अग्रिम मे डाल दिया गया था।

अभिलेखो मे आगे देखा गया हैं की उक्त अधिकारी का स्थानांतरण भी अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, रामनगर मे हो चुका हैं। कार्यालय द्वारा बिना No dues Certificate के ही उक्त अधिकारी को कार्यमुक्त कर दिया था। करीब दस वर्षों के पश्चात दिनांक-04.11.2015 को कार्यालय द्वारा श्री नसरुद्दीन राही, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता को पत्र द्वारा उक्त धनराशि को जमा करने के लिए निर्देशित किया था एवं जमा न करने पर वेतन से वसूली किए जाने हेतु कहा था। परंतु उक्त पत्र के उपरांत भी न तो उक्त कर्मचारी द्वारा धनराशि को जमा किया गया एवं न ही कार्यालय द्वारा कोई वसूली वेतन से की गयी।

संप्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि वसूली करने की कार्यवाही जल्द पूरी कर ली जाएगी।

अत: श्री नसरुद्दीन राही, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता से प्रकीर्ण अग्रिम मे असमायोजित धनराशि `46485.00 की वसूली नही किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

प्रस्तर–2 खण्ड द्वारा रू0 66.26 लाख की देनदारियों का सृजित किया जाना ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघुडाल खण्ड, अल्मोड़ा के अभिलेखों की नमूना जॉच (09/2018) में पाया गया कि खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न मदों में कुल रू0 66.26 लाख की देनदारी लम्बित थी जिनका विवरण निम्न प्रकार था :–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	मद एवं लेखाशीर्षक	देनदारी
1.	**2.**	**3.**
1	नाबार्ड	37.00
2	जिला योजना	0.75
3	2702 एम0एण्ड0आर0 लिफ्ट सिंचाई योजना/नलकूप	28.51
	योग	**66.26**

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि उपरोक्त देनदारियां धनाबंटन प्राविधानानुसार न होने के कारण जनित है। अल्मोड़ा जनपद की लिफ्ट सिंचाई याजना के परिचालन एवं रखरखाव हेतु आवश्यकता से अत्यधिक कम आवंटन होने के कारण उक्त देनदारियां जनित हुई है एवं धनाबंटन हेतु लगातार मांग उच्चाधिकारियों से की जा रही है। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि खण्ड द्वारा उक्त देनदारी का सृजन किया गया था।

अतः खण्ड द्वारा रू0 66.26 लाख की देनदारियों के सृजित किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–।।।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1.	37/97-98	--	1	
2.	49/98-99	--	2	
3.	51/99-2000	1	--	
4.	8/2001-02	1	--	
5.	11/02-03	1	2	
6.	6/03-04	--	4	
7.	8/04-05	--	1	
8.	83/05-06	--	2	
9.	94/06-07	1	--	
10.	21/09-10	1	3	
11.	10/11-12	--	1,2	
12.	54/15-16	--	1	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर** संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी।

भाग- ।V

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

——— शून्य ———

भाग–V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, लघुडाल खण्ड, अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i)विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

(ii) माप पुस्तिका संख्या 125/L, 140/L, 144/L, 143/L एवं 127/L

2. सतत् अनियमितताएं :

(i)**शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(1)	श्री नरेन्द्र सिंह देउपा	अधिशासी अभियन्ता (14.03.2014 से 31.05.2017 तक)
(2)	श्री नरेश कुमार आर्या	अधिशासी अभियन्ता (01.06.2017 से 28.06.2017 तक)
(3)	श्री सुरेशपाल	अधिशासी अभियन्ता (29.06.2017 से 11.09.2017 तक)
(4)	श्री मनोज कुमार पन्त	अधिशासी अभियन्ता (12.09.2017 से 23.07.2018 तक)
(5)	श्री संजय कुशवाहा	अधिशासी अभियन्ता (24.07.2018 से अब तक)

4. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री अरविन्द कुमार (11.08.2014 से 04.10.2016 तक)

2.श्री ओमप्रकाश मीणा (05.10.2016 से 04.06.2017 तक)

3.श्री विकास तूर (05.06.2017 से अब तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, लघुडाल खण्ड, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र –।।